



हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 01.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

### **01. थाना-रौनापार:- अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

#### **गिरफ्तारी का विवरण:-**

आज दिनांक 01.12.2024 30नि0 सुरेन्द्र कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ मय हमराह द्वारा अभियुक्त आकाश पटेल पुत्र उदयरज पटेल निवासी झपरापुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को वहद ग्राम उसरी से समय करीब 09.45 बजे 01अदद तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 446/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

#### **आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 446/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 14/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 204/2020 धारा 380/411/357 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
4. मु0अ0सं0 223/2020 धारा 380/457 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 226/2020 धारा 147/148/323/352/427/504/506 भादवि थाना रौनापार आजमगढ़।



### **02.थाना-मुबारकपुर:- नाबालिक युवक के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार**

#### **पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-**

पुलिस अधीक्षक कार्यालय के शिकायत प्रकोष्ठ से प्राप्त प्रार्थना पत्र में वादी द्वारा बताया गया कि दिनांक 15.08.2024 की रात्रि में लगभग 10.30 बजे वादी के छोटे भाई को अभियुक्तों 01. मोहम्मद यजदानी पुत्र मोहम्मद अफरोज अहमद निवासी ग्राम नेवादा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 02. अबु तलहा पुत्र रिजवान अहमद निवासी ग्राम नेवादा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ 03. एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा जबरदस्ती उठाकर ले जाया गया जहाँ उसके साथ अप्राकृतिक सम्बन्ध बनाया गया। पीडित द्वारा जिसका विरोध करने पर उसे मारापीटा गया व जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 29.11.2024 को मु0अ0सं0 472/2024 धारा 115(2), 351(2) BNS व 5L/6 पाक्सों एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 03 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण:-** आज दिनांक 01.12.2024 को व030नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मोहम्मद यजदानी पुत्र मोहम्मद अफरोज अहमद निवासी ग्राम नेवादा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को अमिलो महाजन की बाग से समय करीब 11.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।



**03.थाना-अतरौलिया:- दहेज हत्या में वांछित 10,000 रूपये इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व का संक्षिप्त विवरण:-** दिनांक 14.06.23 को वादिनी हरवा पत्नी रूपचन्द निवासी लेदौरा (बलुहवा) थाना अहरौला जनपद आजमगढ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी की पुत्री को उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिये प्रताडित करते हुए गला दबाकर हत्या कर दिया व साक्ष्य छिपाने के लिये शव को जला दिया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 164/23 धारा 498A/304B/201/176 भादवि व 3/ 4 डी0पी एक्ट बनाम 1. रुदल निषाद पुत्र शिवकुमार निषाद 2. शिवकुमार उर्फ राजकुमार पुत्र राम अवध 3. चनावती देवी पत्नी शिवकुमार उर्फ राजकुमार 4. शनी पुत्र शिवकुमार उर्फ राजकुमार 5. वन्दना पत्नी शनी 6. राजकपूर पुत्र स्व0 राम सरोज निवासीगण लोहरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जिसमें पूर्व में 04 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा 02 अभियुक्त 1.शनी पुत्र शिवकुमार उर्फ राजकुमार 2. वन्दना पत्नी शनी निवासीगण लोहरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ लगातार फरार चल रहे थे जिनके ऊपर पुलिस अधीक्षक आजमगढ द्वारा दिनांक 21.07.2024 को 10,000 रु0 का पुरष्कार घोषित किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण:-** आज दिनांक 01.12.2024 को थानाध्यक्ष विरेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित 10,000 रूपये का इनामिया अभियुक्त शनि पुत्र शिवकुमार सा0 लोहरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ उम्र 26 वर्ष को ग्राम तेजापुर पेडुका बाबा मन्दिर के पास से समय करीब 11.25 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

**आपराधिक इतिहास:-** 1. मु0अ0स0 429/23 धारा 174 ए भादवि थाना अतरौलिया आजमगढ

02. मु0अ0स0 164/23 धारा 498A/304B/201/176 भादवि व 3/ 4 डी0पी एक्ट



## थाना-कोतवाली

**जुआ खेलने वाले 04 अभियुक्त 3500 रूपये नगद, 04 मोबाईल फोन व 01 अदद तास की गड्डी के साथ गिरफ्तार।**

**गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-**

दिनांक 30.11.2024 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ मय हमराह को सूचना मिली की कुछ व्यक्तियों द्वारा गायत्री शक्तिपीठ मंदिर के पीछे तमसा नदी के किनारे जुआ खेला जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर अभियुक्तों 1. राजन गुप्ता उर्फ बबलू गुप्ता पुत्र कामता प्रसाद गुप्ता निवासी इंदारतगंज थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र 46 वर्ष, 2. आशीष चौबे उर्फ गोन्डेन पुत्र राजेश चौबे निवासी न्यू जमालपुर कालोनी थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष, 3. कौशल गौड़ उर्फ जग्गू पुत्र गोबरी गौड़ निवासी हरिहरपुर थाना कंधरापुर आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष, 4. अजय साहनी उर्फ बीम साहनी पुत्र विजय साहनी निवासी कोलघाट थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को समय करीब 22.55 बजे हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिये गये अभियुक्तों के कब्जे से 3500 रूपया मालफड़, 04 अदद मोबाईल फोन व 01 अदद तास की गड्डी बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 647/24 धारा 112(2) बीएनएस व 13 सार्वजनिक द्यूत अधिनियम बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण/आपराधिक इतिहास:-**

### **1. राजन गुप्ता उर्फ बबलू गुप्ता पुत्र कामता प्रसाद गुप्ता निवासी इंदारतगंज थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ**

1. मु0अ0सं0 202/18 धारा 120बी/307 भादवि थाना घोषी जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 329/18 धारा 307 भादवि थाना घोषी जनपद मऊ
3. मु0अ0सं0 330/18 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना घोषी जनपद मऊ
4. मु0अ0सं0 331/18 धारा 41/411 भादवि थाना घोषी जनपद मऊ
5. मु0अ0सं0 345/19 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम 1986 थाना घोषी जनपद मऊ
6. मु0अ0सं0 561/17 धारा 3/ 4 सार्वजनिक द्यूत अधिनियम थाना घोषी जनपद मऊ
7. मु0अ0सं0 481/16 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधि0 1986 थाना मुहम्मदाबाद मऊ

### **3. आशीष चौबे उर्फ गोन्डेन पुत्र राजेश चौबे निवासी न्यू जमालपुर कालोनी सिधारी थाना जनपद आजमगढ़**

1. मु0अ0सं0 120/16 धारा धारा 3/ 4 सार्वजनिक द्यूत अधिनियम थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 58/15 धारा धारा 302/120बी भादवि थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

### **2. कौशल गौड़ उर्फ जग्गू पुत्र गोबरी गौड़ निवासी हरिहरपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़**

1. मु0अ0सं0 176/22 धारा 120बी/419/420/467/468/471/506 भादवि थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 623/21 धारा 323/352/392/504/506 भादवि थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ
3. मु0अ0सं0 178/22 धारा 419/420/467/468/471 भादवि थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ
4. मु0अ0सं0 150/19 धारा 147/148/323/325/427 भादवि थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 230/22 धारा 7 दंडविधि (संशोधन) अधिनियम, 1932 व 302/323/34/504/506 भादवि थाना कंधरापुर आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 369/20 धारा 188/269 भादवि थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ

### **4. अजय साहनी उर्फ बीम साहनी पुत्र विजय साहनी निवासी कोलघाट थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष**

01. मु0अ0सं0 647/24 धारा 112(2) बीएनएस व 13 सार्वजनिक द्यूत अधिनियम थाना कोतवाली आजमगढ़



## **05. थाना-अहरौला:- अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

### **घटना का संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 30.11.2024 को चौकी प्रभारी माहुल उ0नि0 सुधीर कुमार सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त काशी नोना पुत्र लल्लू नोना सा0 टैनी थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को रुपाईपुर जाने वाली कच्ची सड़क मोड़ से समय करीब 23.45 बजे एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 497/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

### **आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 319/23 धारा 3(1) यू0पी0 गैग्रेटर एक्ट थाना अहरौला आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 81/2023 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 थाना अहरौला आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 497/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़



## **06.थाना-तरवा:- चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार**

### **पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)**

दिनांक 28.11.2024 को वादी कृष्णा जयसवाल पुत्र शिव प्रसाद जयसवाल ग्राम सिंहपुर चकिया बाजार थाना तरवाँ जिला आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि कल दिनांक 27.11.2024 की रात्रि लगभग 01.00 बजे वादी के किराना स्टोर की दुकान का ताला तोडकर 01. अमर उर्फ दीपक चौहान पुत्र इन्द्रजीत चौहान नि0 ग्राम सिंहपुर सरैया थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष 02. एक बालअपचारी द्वारा एक कुन्तल 50 किलो गेहू व 1 किलो सरसो तेल 5 बोतल व रीफाइन एक किलो वाला 5 बोतल व लाइफ वाय साबून 10 पीस व आवला तेल 5 पीस व अन्य समान तथा नगद रुपया लगभग 20 हजार रुपये चोरी कर लिया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 330/24 धारा 305, 331(4) बी0एन0एस बनाम 02 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

### **गिरफ्तारी की विवरण:-**

आज दिनांक 30.11.24 को उ0नि0 रतन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अमर उर्फ दीपक चौहान पुत्र इन्द्रजीत चौहान नि0 ग्राम सिंहपुर सरैया थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष को दरौपुर मोड़ से समय करीब 20.45 बजे एक अदद तमंचा 0.315 बोर, एक जिन्दा कारतूस 0.315 बोर व 500 रुपये नगद के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

### **आपराधिक इतिहास:-**

01. मु0अ0सं0 330/24 धारा 305, 331(4) बी0एन0एस व बढोत्तरी धारा 317(2) बी0एन0एस0 थाना तरवाँ आजमगढ़
02. मु0अ0सं0 333/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवाँ आजमगढ़



**07.थाना-निजामाबाद: चोरी करने वाले 02 अभियुक्त चोरी में प्रयुक्त सब्बल व खुरपी, 2230 रुपये नगद तथा चोरी के गहनों के साथ गिरफ्तार, चोरी के कुल 04 घटनाओं का किया गया सफल अनावरण।**

**पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण:-**

→दिनांक 06.10.24 की रात्रि मे वादिनी सरिता देवी पुत्र ध्यानचन्द यादव निवासी जहीरपुर थाना निजामाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादिनी के घर में सेंध लगाकर गहने व 4000 रु0 नगद अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। जिसके संबन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 485/2024 धारा 305/331(4) BNS, पंजीकृत किया गया।

→दिनांक 06.10.2024 की रात्रि में वादी मुन्नीलाल पुत्र चन्द्रबली यादव ग्राम मुईया अली थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादी के घर में सेंध लगाकर गहने व 3000 रु0 नगद अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया है जिसके संबन्ध में मु0अ0सं0 486/2024 धारा 305/331(4) BNS पंजीकृत किया गया।

→दिनांक 25.10.24 की रात्रि में वादी योगेन्द्र यादव पुत्र रामजतन यादव निवासी बुद्धसेनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना दिया गया कि वादी के दुकान से अज्ञात चोरों द्वारा 10 ली0 रिफाइन तेल, 10 ली0 बैल कोल्ह तेल व 3000 रु0 रुपये नगद चोरी कर लिया गया है। जिसके संबन्ध में मु0अ0सं0 509/24 धारा 305ए BNS पंजीकृत किया गया।

→दिनांक 24.10.24 की रात्रि में वादी अबुलैश पुत्र अजीज अहमद ग्राम कुजियारी थाना निजामाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा घर का ताला तोड़ घर में रखे गहने चुरा लिया गया है। जिसके संबन्ध में मु0अ0सं0 510/24 धारा 331(4),305 BNS पंजीकृत किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण:-**

दिनांक 30.11.24 को उ0नि0 रंजय कुमार सिंह, उ0नि0 चन्द्रजीत यादव व उ0नि0 सुभाष चन्द्र यादव मय हमराह द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1. जोगेन्द्र सोनकर उर्फ योगेन्द्र पुत्र राम रामवृक्ष सोनकर निवासी ग्राम बुद्धसेनपुर 2. पिन्टू यादव पुत्र गुल्लु यादव निवासी ग्राम मिट्टनपुर थाना निजामाबाद जिला आजमगढ़ दौलतपुर से समय रात्रि 20.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी में प्रयुक्त सब्बल व खुरपी, 2230 रुपये नगद तथा चोरी के गहने बरामद किये गये। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त:-**

**1. जोगेन्द्र सोनकर उर्फ योगेन्द्र पुत्र राम रामवृक्ष सोनकर निवासी ग्राम बुद्धसेनपुर**

1. मु0अ0सं0 281/2024 धारा 380,411,427 IPC थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 382/2024 धारा 3(5), 305,317(2),331(4) IPC थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 382/2024 धारा 3(5), 305, 317(2),331(4) IPC थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 485/24 धारा 305/331(4) BNS थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 486/24 धारा 305/331(4) BNS थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 509/24 धारा 305ए BNS थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
8. मु0अ0सं0 510/24 धारा 331(4) ,305 BNS थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

**2. पिन्टू यादव पुत्र गुल्लु यादव निवासी ग्राम मिट्टनपुर थाना निजामाबाद जिला आजमगढ़**

1. मु0अ0सं0 105/24 धारा 379,411 IPC थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 485/24 धारा 305/331(4) BNS थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 486/24 धारा 305/331(4) BNS थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 509/24 धारा 305ए BNS थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 510/24 धारा 331(4) ,305 BNS थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

**बरामदगी:-**

**01.चोरी के गहने**

02. चोरी में प्रयुक्त लोहे का सब्बल व खुरपी

03. चोरी के 2230 रुपया रू0 नगद

**गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

- 1 उ0नि0 रंजय कुमार सिंह मय हमराह थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 चन्द्रजीत यादव मय हमराह थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
3. उ0नि0 सुभाष चन्द्र यादव मय हमराह थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़



**08.थाना-मेंहनाजपुर:- आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 30.11.24 को वादी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादी की पुत्री का प्रेम प्रसंग अंकित पुत्र वीरेन्द्र राम ग्राम चकरा नरायनपुर थाना चन्दवक जनपद जौनपुर के साथ चल रहा था दोनों एक दूसरे से पहले शादी करने को तैयार थे लेकिन दिनांक 28/11/24 की रात्रि में दोनों द्वारा कई बार बात चीत करना बातचीत के दौरान अंकित द्वारा वादी की पुत्री को उल्टा सीधा बोलते हुए आत्म हत्या करने के लिए उत्प्रेरित किया गया। जिस कारण वादी की पुत्री द्वारा मैसेज किया गया कि मैं मरने जा रही हूँ व अपने घर के पीछे स्थित कुयेँ में कुदकर अपनी जान दे दी जिसकी लाश दिनांक 29/11/24 को सुबह 8:15 बजे कुंआ से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 189/2024 धारा 108 बीएनएस बनाम अंकित पुत्र वीरेन्द्र राम ग्राम चकरा नरायनपुर थाना चन्दवक जनपद जौनपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

**गिरफ्तारी का विवरण :-**

आज दिनांक 01.12.24 को व0उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अंकित पुत्र वीरेन्द्र राम ग्राम चकरा नरायनपुर थाना चन्दवक जनपद जौनपुर उम्र 26 वर्ष को चाकीडीह नदी पुल से समय करीब 08.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

**अपराधिक इतिहास :-**

1. मु0अ0सं0 36/18 धारा 380, 411, 413, 414, 457 भादवि थाना जफराबाद जनपद जौनपुर
2. मु0अ0सं0 1265/17 धारा 379, 413, 414 भादवि थाना जफराबाद जनपद जौनपुर
3. मु0अ0सं0 25/18 धारा 380,411,413,414,457 भादवि थाना लाईन बाजार जनपद जौनपुर

4. मु0अ0स037/18 धारा 380, 411, 457 भादवि थाना जफराबाद जनपद जौनपुर

5. मु0अ0स0 161/18 धारा 3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया0(निवारण) अधि0, 1986 भादवि थाना जफराबाद जौनपुर



### **09. थाना-जहानागंज:- जानलेवा हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

#### **पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 12/11/2021 को वादी विजय सिंह उर्फ झब्बर सिंह पुत्र स्व० परशुराम सिंह ग्राम बड़ौरा बुजुर्ग थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों 1. राकेश सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह 2. दिनेश सिंह पुत्र श्यामनायन सिंह 3. अजीत सिंह पुत्र राकेश सिंह 4. मिथिलेश सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह 5 लल्लू उर्फ रूपेश सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासीगण बड़ौरा बुजुर्ग थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा दशरथ सिंह के विवाद को लेकर मुझे तथा मेरे पट्टीदार अजीत सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह व भरत सिंह को एक राय होकर गाली गुप्ता देते हुए मारे-पीटे व जाँन से मारने की धमकी दिया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 242/21 धारा 147,323,504,506 आईपीसी बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परिक्षण रिपोर्ट के आधार पर धारा 307 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

#### **गिरफ्तारी का विवरण:-**

आज दिनांक 01.12.2024 को उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अजीत सिंह पुत्र राकेश सिंह निवासी बड़ौरा बुजुर्ग थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को बड़ौरा बुजुर्ग से समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

#### **आपराधिक इतिहास:-**

- 1.-- मु0अ0सं0 242/21 धारा 147/323/504/506/307/34 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 198/22 धारा 323,341,504,506 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 232/22 धारा 308,323,324,325,34,452,504,506 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़



## **10.थाना-सिधारी:- मारपीट की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

### **पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 14.11.2024 को वादिनी पंकी विश्वकर्मा पत्नी श्रवण विश्वकर्मा साकिन गेलवारा थाना सिधारी, आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों 1. आत्मा राम गोड़ पुत्र छटंकी निवासी गेलवारा थाना सिधारी आजमगढ़ 2. परमात्मा राम गोड़ पुत्र छटंकी निवासी गेलवारा थाना सिधारी आजमगढ़ 3. सुमन पुत्री छटंकी निवासी गेलवारा थाना सिधारी आजमगढ़ व 4. भोला पुत्री छटंकी निवासी गेलवारा थाना सिधारी आजमगढ़ 5. प्रमिला पत्नी आत्माराम गोड़ निवासी गेलवारा थाना सिधारी आजमगढ़ 6. गुलैची पत्नी छटंकी निवासी गेलवारा थाना सिधारी आजमगढ़ 7. अतुल पुत्र आत्मा राम निवासी गेलवारा थाना सिधारी आजमगढ़ 08. अभिषेक भांजा आत्मा राम गोड़ हाल पता ग्राम गेलवारा थाना सिधारी, आजमगढ़ द्वारा रंजीशन एक साथ योजनावध तरीके अपने-अपने हाथों में लाठी डंडा एवं केबिल आदि लेकर आवेदिका एवं उसके सास गुलाबी देवी एवं जेठानी जामवन्ती को गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी देते हुए मारे-पीटे जिससे गम्भीर चोट के कारण जामवन्ती बेहोश हो गयी एवं गुलबी देवी को गम्भीर चोटें आने के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0444/2024 धारा 3(5)/115(2)/352/351(2)/110 बी0एन0एस0 बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

### **गिरफ्तारी का विवरण-**

आज दिनांक 01.12.2024 को उ0नि0 जावेद सिद्दीकी मय हमराह द्वारा मुकदम उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आत्मा राम गोड़ पुत्र स्व0 छटंकी गोड़ सा0 गेलवारा थाना सिधारी, आजमगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष को जिन्नाद बाबा मजार के पास भदुली थाना सिधारी आजमगढ़ से समय करीब 13.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय में किया गया।

### **आपराधिक इतिहास:-**

- 1.मु0अ0सं0- 83/2011 धारा 323/325/395/397/504/506 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
- 2.मु0अ0सं0- 79/2016 धारा 147/308/323/354(क)/452/504/506 भादवि थाना सिधारी
- 3.मु0अ0सं0- 357/2024 धारा 115(2)/125/333/351(1)/352 बीएनएस थाना सिधारी
- 4.मु0अ0सं0- 444/2024 धारा 110/115(2)/3(5)/351(1)/352 बीएनएस थाना सिधारी





**12.थाना-निजामाबाद:चोरी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा,कारतूस, 01 जोड़ी पाजेब सफेद धातु, 01 मंगल सुत्र पीली धातु, 01 जोड़ी कान फूल पीली धातु, 120 रूपये नगद व एक बैटरी बरामद पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण:-**

→ दिनांक 08.08.2024 की रात्रि मे वादिनी सुकाली देवी पत्नी रविन्द्र गौड ग्राम फत्तनपुर थाना निजामाबाद जिला आजमगढ के घर में अज्ञात चोर द्वारा घुसकर बाक्स में रखा हुआ कानफूल व मंगलसूत्र व पायल तथा कुछ नगदी रुपया कुछ फूल के बर्तन चोरी कर लिये जिसके संबन्ध में मु0अ0सं0 387/2024 धारा 305/331(4)BNS पंजीकृत किया गया।

→दिनांक 06.11.2024 को नायरा पेट्रोल पम्प निकामुद्दीनपुर पर खड़ा ट्रक से बाइक सवार चोर द्वारा ट्रक की वी गार्ड की बैटरी निकाल कर चोरी कर लिया जिसके संबन्ध में वादी निखिल राय पुत्र सत्यप्रकाश राय पता पेडरा गंगापुर सरायमीर आजमगढ के लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0 526/24 धारा 303(2) BNS पंजीकृत किया गया था।

**गिरफ्तारी का विवरण:-**

कल दिनांक 30.11.24 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा प्राप्त सूचना के आधार फरीदाबाद के पास परसहा मोड से अभियुक्त जयहिन्द पुत्र राम स्वारथ निवासी ग्राम सीधा सुल्तानपुर थाना निजामाबाद जिला आजमगढ को समय करीब 22.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 नाजायज तमंचा 315 बोर व एक 315 बोर का जिन्दा कारतूस , एक जोड़ी पाजेब सफेद धातु, एक मंगल सुत्र पीली धातु,एक जोड़ी कान फूल पीली धातु, 120 रूपये नगद व हाथ में पकड़े बोरे से वी गार्ड की एक बैटरी बरामद किया गया। उपरोक्त मुकदमों के बरामद माल के आधार पर धारा 317(2) BNS की वृद्धि की गयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 545/24 अन्तर्गत धारा 3/25 A ACT पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

**आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 77/16 धारा 379, 411, 413, 419, 420 IPC थाना फूलपुर जनपद आजमगढ
2. मु0अ0सं0 70/16 धारा 41, 411, 413, 419, 420 IPC थाना सिधारी जनपद आजमगढ
3. मु0अ0सं0 140/23 धारा 3/25Arms ACT थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ
4. मु0अ0सं0 526/24 धारा 303(2)/317(2) BNS थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ
5. मु0अ0सं0 387/24 धारा 305, 331(4), 317(2) BNS थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ
6. मु0अ0सं0 545/24 अन्तर्गत धारा 3/25 A ACT थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ



### 13.थाना रौनापार पर लावारिस वाहनों का निस्तारण किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री हेमराज मीना द्वारा चलाये जा रहे लावारिस/ मुकदमाती वाहनों के निस्तारण के आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 01.12.24 को श्रीमान तहसीलदार हरैया व श्रीमान् प्रभारी निरीक्षक थाना महाराजगंज के उपस्थिति में थाना स्थानीय पर लावारिस/ मुकदमाती वाहनों के निलामी की प्रक्रिया की कार्यवाही की गयी जिसमें कुल 12 नीलामीकर्ता बोली लगाये तथा कुल 17 लावारिस/मुकदमाती वाहनों की टोटल 118000/- रुपये की बोली लगी।

#### निलामी वाहनों का विवरण:-

- 1-न्यूनतम मूल्य 71600/- रुपये के दो पहिया वाहन कुल 16 अदद खरीदारी कर्ता श्री राकेश गुप्ता पुत्र स्व0 सदावृक्ष गुप्ता निवासी करनपुर स्रैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को 104600/- रुपये में निलामी कर सुपुर्द किया गया ।
- 2-न्यूनतम मूल्य 12000/- रुपये का एक अदद जीप खरीदारी कर्ता ओमप्रकाश पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र निवासी लालडिगी मातवरगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को 13400/- रुपये में निलामी कर सुपुर्द किया गया ।

